(106)

निगरानी प्रकरण क्रमांक : /2016

माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर, केम्प इन्दौर

R-3917-PBR-16

ईडा पिता भूरला बारेला,

निवासी - सालीटांडा, तहसील-राजपुर, जिला-बड़वानी (म.प्र.) ...प्रार्थी

विरूद्ध

1. बंशीलाल पिता भूरला बारेला

निवासी - सालीटांडा, तहसील-राजपुर, जिला-बड़वानी (म.प्र.)

2. गिन्छा उर्फ गणेश पिता भूरला

निवासी - सालीटांडा, तहसील-राजपुर, जिला-बड़वानी (म.प्र.)

3. नानीबाई बेवा भूरला बारेला

निवासी - सालीटांडा, तहसील-राजपुर, जिला-बड़वानी (म.प्र.) ...प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

इसमें प्रार्थी श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, राजपुर जिला बड़वानी द्वारा राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 29-ए/27/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 24/10/2016 से असंतुष्ट होकर नीचे लिखे आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करता है :-

XXXIX(a)-BR (H)-10

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक R- 3914-PBR/16

[illegible] विरुद्ध [illegible]

तहसील .... जिला [illegible]

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक........ जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक........

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक........ तहसील का प्रकरण क्रमांक........

वाद का विषय ....

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है ....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	[illegible] ~~आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला~~ के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक 24.10.16 के विरुद्ध श्री बी के गुप्ता के अभिभावक द्वारा अपील/ पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है। पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/ नहीं है/ मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/........ रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं / नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है / नहीं दिया है। प्रस्तुतकार	
15-11-2016	आवेदक की ओर से श्री बी.के.गुप्ता अभिभाषक उपस्थित। ग्राह्यता पर सुना गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 24.10.2016 की सत्य प्रतिलिपि	[signature]

[signature]

[पीछे देखिये

R 3917/16 ई.डी. × वंशीलाल (क्रमशः)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अ... आदि के हस्...
	का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवार्ड विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर बोलता हुआ सकारण आदेश पारित नहीं किया गया है। अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उभय पक्ष को सुनकर अवार्ड विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर बोलता हुआ सकारण आदेश पारित किया जाये।	
	अध्यक्ष	

शाक्षेमुग्वा—181—फॉर्म्स—29-8-16-30,000 प्रपत्र.